

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना—पत्र संख्या – 33/2011/अलवर.
(सम्बन्धित अपील संख्या—358/2009/अलवर)

मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, अलवर.

.....प्रार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—I, वृत—ए, अलवर.

.....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,

उप—राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27/07/2015

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना—पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 358/2009/अलवर में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2011 में संशोधन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर के आदेश दिनांक 02.12.2008 के विरुद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील, प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, वृत—ए, अलवर द्वारा प्रार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2004—05 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 30.03.2007 द्वारा मिठाई व कचोरी की बिक्री रूपये 7,30,000/- पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति की पुष्टि की गयी थी, के सन्दर्भ में धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 44,732/- को अपास्त किये जाने हेतु माननीय कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 358/2009 प्रस्तुत की गयी थी। माननीय एकलपीठ ने उक्त शास्ति के सन्दर्भ में कोई विवेचन नहीं किया, बल्कि निर्णय के पृष्ठ 2 के पैरा 2 में निम्न अंकन किया है कि :— "व्यवसायी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य बिक्री में से दो लाख की कानूनी छूट न देकर अविधिक आदेश पारित किया गया है।" जबकि इस सम्बन्ध में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा ना तो अपील आधारों में कोई अंकन किया गया था एवं ना ही मौखिक बहस में कथन किया गया था। अतः माननीय एकलपीठ द्वारा अपील आधारों का अध्ययन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अतः माननीय एकलपीठ की यह त्रुटि रेकॉर्ड

८८४१९

लगातार.....2

पर परिलक्षित होने से अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय इन्कम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जयपुर बैंच का न्यायिक दृष्टान्त 45 टैक्स वर्ल्ड 123 मैसर्स ज्योति प्रकाश मील एण्ड पार्टी जयपुर बनाम डी.सी.आई.टी. जयपुर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

3. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 19.04.2011 का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के अपील आधारों एवं बहस को मद्देनजर रखते हुए ही निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक/विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज का हवाला देते हुए प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2011 के पृष्ठ 3 के अन्तिम पैरा में निम्न निष्कर्ष दिया गया है :—

“विद्वान उपायुक्त अपील्स द्वारा उनके समक्ष उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विवेचन के पश्चात एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनांक 2.12.2008 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नजर नहीं आती है। फलस्वरूप व्यवसायी की ओर से प्रस्तुत अपील 358/2009 एवं कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 688/2009 दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।”

6. उक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के प्रत्येक बिन्दु को विचारित करते हुए सचेतन मस्तिष्क से निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी एवं प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों के आधारों/तथ्यों को दृष्टिगत रखा गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि माननीय एकलपीठ द्वारा अपील आधारों को पढ़े बिना ही निर्णय पारित किया गया है।

लगातार.....3

7. ऐसी स्थिति में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया संशोधन अधिनियम की धारा 37 की परिधि में नहीं आने के कारण, प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 37 की परिधि पर न्यायिक दृष्टान्त (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक में यह अवधारित किया गया है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 धारा 37 के अन्तर्गत पूर्व में पारित सुविचारित निर्णय परिशोधन की परिधि में नहीं आता है तथा धारा 37, पूर्व में पारित निर्णयों को पुनर्विलोकन करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 (SC) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड़ प्लास्टिक एजेंसीज के सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं :—

14. The scope and ambit of the power which could be exercised under Section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

15.

16.

17.

18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re-appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

लगातार.....4

9. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 42 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्फ्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 में प्रतिपादित किया गया है।
10. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 45 टैक्स वल्ड 123 के तथ्य एवं विधिक परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त निर्णय प्रार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।
11. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।
12. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
(मनोहर पुरी)
सदस्य